



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 339) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

9 जून 2021

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के लिए “परामर्शी समिति” के गठन के संबंध में।

सं0 08प/वि0-05-11/2021/2757/पंरा0-बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के आम चुनाव वर्ष 2016 में सम्पन्न हुए थे। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अधीन ये संस्थाएँ अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेंगी। विनिर्दिष्ट पाँच वर्षों की अवधि के अवसान पर ये संस्थाएँ भंग हो जायेंगी। कतिपय तकनीकी कारणों एवं कोविड-19 के व्यापक प्रसार के कारण इन संस्थाओं की कार्यावधि के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना संभव नहीं है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 द्वारा अंतःस्थापित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-14 (5), धारा-39 (5), धारा-66 (5) एवं धारा-92 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा “परामर्शी समिति” का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

(1) ग्राम पंचायत परामर्शी समिति :

- | | | |
|-----------|---|---|
| अध्यक्ष | — | ग्राम पंचायत के भंग होने की तिथि को कार्यरत मुखिया। |
| उपाध्यक्ष | — | ग्राम पंचायत के भंग होने की तिथि को कार्यरत उप-मुखिया। |
| सदस्य | — | ग्राम पंचायत के भंग होने की तिथि को कार्यरत ग्राम पंचायत सदस्यगण। |
| सचिव | — | ग्राम पंचायत सचिव। |

ग्राम पंचायत परामर्शी समिति द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 तथा इसके अधीन गठित नियमावलियों, परिपत्रों, अनुदेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन किया जायेगा। परामर्शी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम के अधीन क्रमशः मुखिया, उप-मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य को प्रदत्त हैं।

(2) पंचायत समिति परामर्शी समिति :

- | | | |
|-----------|---|--|
| अध्यक्ष | — | पंचायत समिति के भंग होने की तिथि को कार्यरत प्रमुख। |
| उपाध्यक्ष | — | पंचायत समिति के भंग होने की तिथि को कार्यरत उप-प्रमुख। |
| सदस्य | — | पंचायत समिति के भंग होने की तिथि को कार्यरत सदस्य, यथा |

- (क) पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य,
- (ख) पंचायत समिति के अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य,
- (ग) राज्यसभा और राज्य विधान परिषद् के वैसे सदस्य जो पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों तथा
- (घ) पंचायत समिति क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों की परामर्शी समिति के अध्यक्ष।

कार्यपालक पदाधिकारी— प्रखंड विकास पदाधिकारी।

पंचायत समिति परामर्शी समिति द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 तथा इसके अधीन गठित नियमावलियों, परिपत्रों, अनुदेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, पंचायत समिति में निहित सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन किया जायेगा। परामर्शी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम के अधीन क्रमशः प्रमुख, उप-प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य को प्रदत्त हैं।

(3) जिला परिषद् परामर्शी समिति :

- अध्यक्ष** — जिला परिषद् के भंग होने की तिथि को कार्यरत अध्यक्ष।
- उपाध्यक्ष** — जिला परिषद् के भंग होने की तिथि को कार्यरत उपाध्यक्ष।
- सदस्य** — जिला परिषद् के भंग होने की तिथि को कार्यरत सदस्य, यथा
 - (क) जिला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य,
 - (ख) लोकसभा के वैसे सदस्य और राज्य विधानसभा के वैसे सदस्य जो जिले के किसी ऐसे भाग का प्रतिनिधित्व करते हों जो पूर्णतः या अंशतः उस जिले के अंतर्गत पड़ता हो और जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो,
 - (ग) राज्यसभा और राज्य विधान परिषद् के वैसे सदस्य जो जिले के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में दर्ज हों तथा
 - (घ) जिले की सभी पंचायत समितियों की परामर्शी समिति के अध्यक्ष।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी— उप विकास आयुक्त।

जिला परिषद् परामर्शी समिति द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 तथा इसके अधीन गठित नियमावलियों, परिपत्रों, अनुदेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, जिला परिषद् में निहित सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन किया जायेगा। परामर्शी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम के अधीन क्रमशः जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद् सदस्य को प्रदत्त हैं।

(4) ग्राम कचहरी परामर्शी समिति :

- अध्यक्ष** — ग्राम कचहरी के भंग होने की तिथि को कार्यरत सरपंच।
- उपाध्यक्ष** — ग्राम कचहरी के भंग होने की तिथि को कार्यरत उप-सरपंच।
- सदस्य** — ग्राम कचहरी के भंग होने की तिथि को कार्यरत पंचगण।
- सचिव** — ग्राम कचहरी सचिव।

ग्राम कचहरी परामर्शी समिति द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 तथा इसके अधीन गठित नियमावलियों, परिपत्रों, अनुदेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ग्राम कचहरी में निहित सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन किया जायेगा। परामर्शी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम के अधीन क्रमशः ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं पंच को प्रदत्त हैं।

ग्राम कचहरी परामर्शी समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने हेतु ग्राम कचहरी के भंग होने की तिथि को कार्यरत न्यायमित्र की सेवा उपलब्ध रहेगी।

3. परामर्शी समितियों की बैठकों में संगत विषयों से संबंधित पदाधिकारी/कर्मि उसी प्रकार भाग लेंगे जिस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में भाग लेना प्रावधानित था।

4. ग्राम पंचायत के वार्डों में गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियाँ संबंधित वार्ड के सदस्य ग्राम पंचायत परामर्शी समिति की अध्यक्षता में कार्यरत रहेंगी। इन समितियों के खाते का संचालन संबंधित सदस्य, परामर्शी समिति एवं वार्ड सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

5. पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के लिए गठित परामर्शी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य को उनके कार्यरत रहने की तिथि तक बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों के लिए सरकार द्वारा नियत दर पर अनुमान्य भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

6. सरकार के विचार में यदि परामर्शी समिति का कोई अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जानबूझकर अपने कर्तव्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या उसमें निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या विधि द्वारा

स्थापित प्राधिकार के आदेश की अवज्ञा या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो सरकार ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटा सकेगी।

7. पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों की पांच वर्षों की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद की अगली तिथि से इस अधिसूचना द्वारा गठित परामर्शी समितियाँ कार्यरत हो जायेंगी।

8. परामर्शी समितियों की व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों का आम निर्वाचन सम्पन्न हो जाने के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगी।

9. सरकार इस अधिसूचना के क्रियान्वयन में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने हेतु दिशा-निदेश जारी कर सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अमृत लाल मीणा,

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 339-571+500-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>